दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

(8 सितम्बर,1999 को सदन में प्रस्तुत)

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

(THIRD REPORT)

(Presented on 8th September,1999)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय,दिल्ली-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

का प्रतिवेदन

﴾ तीसरा प्रतिवेदन ﴿

﴾ 8 सितम्बर, 1999 को सदन में प्रस्तुत ﴿

समिति का गठन

1.	चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्रीमती मीरा भारद्वाज	सदस्य
4.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	सदस्य
5.	श्री राम भज	सदस्य
6.	श्री जय भगवान अग्रवाल	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस.के.शर्मा	सचिव
2.	श्री पी.सी.अग्रवाल	उप सचिव
3.	श्री के.एल.कोहली	अवर सचिव

....

समिति की बैठक सोमवार, 6 सितम्बर, 1999 को माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष, पुराना सचिवालय, दिल्ली में सम्पन्न हुई ।

समिति द्वारा किये गये मुख्य विचार-विमर्श एवं सिफारिशें इस प्रकार हैंः-

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

शुक्रवार, , 10 सितम्बर, 1999 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि पिछले सत्र में श्रीमती किरन चौधरी द्वारा एक गैर सरकारी सदस्य विधेयक यानि **दिल्ली जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 1999** पुरःस्थापित किया गया था । विधि विभाग ने, जिसकी इस विधेयक के संबंध में राय मांगी गई थी, ने बताया है कि यह विधेयक कुछ केन्द्रीय अधिनियमों जैसे-दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1977 और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों पर लागू कुछ केन्द्रीय नियमों को प्रभावित करता है । इसके अलावा मुसलमानों के निजी कानूनों पर भी प्रभाव डालता है और विधान सभा द्वारा पारित दिल्ली नगर निगम लघु परिवार निर्हरता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को भी अतिछादित (ओवर-लैप) करता है । साथ ही विधेयक पर स्वास्थ्य विभाग की टिप्पणी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

समिति ने निर्णय लिया कि उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए इस विधेयक को विचार-विमर्श हेतु सूचीबद्ध न किया जाये ।

समिति को यह सूचित किया गया कि आगामी सत्र के लिये श्री मुकेश शर्मा, विधायक से एक गैर सरकारी विधेयक - **दिल्ली अनिवार्य शारीरिक एवं खेल कूद शिक्षा विधेयक, 1999** प्राप्त हुआ है । विधि विभाग ने राय दी है कि चूंकि इसकी विषय वस्तु समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 के साथ पठित राज्य सूची की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत आती है, अतः विधान सभा को इस विषय पर कानून बनाने की विधायी शक्ति प्राप्त है । चूंकि विधेयक की धारा-3 के अनुसार इस विधेयक के प्रावधानों को लागू कराने में वित्तीय आशय भी सम्मिलित होंगे, अतः इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की धारा-22(3) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल की सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही विचार करने एवं पारित किये जाने हेतु सूचीबद्ध किया जा सकेगा ।

समितति ने यह निर्णय लिया कि इस विधेयक को 10 सितम्बर, 1999 को सदन में पुरःस्थापित किये जाने हेतु सूचीबद्ध किया जाये, परन्तु माननीय उपराज्यपाल की सिफारिश प्राप्त होने के बाद ही इसको विचार हेतु सूचीबद्ध किया जाये।

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

समिति ने यह निर्णय लिया कि बैलेटिंग में प्राथमिकता प्राप्त निम्नलिखित 03 गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों को 10 सितम्बर, 1999 के लिये सूचीबद्ध किया जाये-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	संकल्प का विषय	
1.	श्री जगदीश आनन्द	"यह सदन संकल्प करता है कि विभिन्न सड़कों/गलियों में बड़ी संख्या में लगाए गए होर्डिंग्स को पूर्ण रूप से हटाया जाए, क्योंकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है ।"	30 मिनट
2.	श्री मुकेश शर्मा	"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली सरकार की सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों (नोटिफाइड रूरल एरियाज़) से आने वाले अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने की नीति को, जिस पर पूर्व सरकार ने रोक लगा दी थी, फिर से आरम्भ किया जाए ।	30 मिनट
3.	श्री जिले सिंह चौहान श्री मुकेश शर्मा	"यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली की सभी अनधिकृत कालोनियों के समेकित एवं योजनाबद्ध विकास हेतु यमुनापार विकास बोर्ड की तरह एक उच्चाधिकार प्राप्त विकास बोर्ड गठित किया जाए और इन अनधिकृत कालोनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की सिफारिश पर विधायक निधि से खर्चा किए जाने का प्रावधान किया जाए ।"	45 मिनट

समिति ने श्री मंगत राम सिंघल और उनकी अनुपस्थिति में श्री जय भगवान अग्रवाल को समिति का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

दिल्ली,

सितम्बर, 1999

(चौ॰ प्रेम सिंह)

सभापति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवम् संकल्पों सम्बन्धी समिति

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRD REPORT

(Presented on 8th September, 1999)

Constitution of the Committee

1.	Ch. Prem Singh (Hon'ble Speaker)	Chairman
2.	Shri Mangat Ram Singhal	Member
3.	Smt. Meera Bhardwaj	Member
4.	Shri Arvinder Singh Lovely	Member
5.	Shri Ram Bhaj	Member
6.	Shri Jai Bhagwan Aggarwal	Member
7.	Shri Ram Singh Netaji	Member

Secretariat

1.	Shri S.K. Sharma	Secretary
2.	Shri P.C. Aggarwal	Depputy Secretary
3.	Shri K.L. Kohli	Under Secretary

The meeting of the Committee was held on Monday, 6th September,1999 in the Chamber of Hon'ble Speaker, Old Sectt. Delhi.

PRIVATE MEMBERS BILLS

Regarding the Private Members' business to be taken up on Friday the 10th September, 1999, the Committee was informed that in the previous Session, a Private Member Bill viz. The Delhi Population Control Bill, 1999 was introduced by Smt. Kiran Choudhary. The Law Department whose opinion was sought on the Bill has stated that the Bill affects certain Central Acts such as Delhi Co-operative Societies Act, 1972, D.M.C. Act, 1957, N.D.M.C. Act, 1977 and certain Central rules applicable to employees of Delhi Government. Besides, the Bill also affects the Muslim Personal Law and over-laps the provisions of DMC Small Family Disqualification Act, 1996 passed by the Assembly. In addition, the comments of the Health Department on the Bill have also not yet been received.

The Committee decided that in view of the above, the Bill may not be listed for consideration.

The Committee was informed that for the ensuing Session, a Private Member Bill viz. The Delhi Compulsory Physical and Sports Education Bill, 1999 has been received from Shri Mukesh Sharma, MLA. The Law Department has opined that since the subject-matter is covered under Entry 33 of the State List read with Entry 25 of the Concurrent List, the Assembly has the legislative competence to enact a law on the subject. The Law Department is also of the view that since according to Section 3 of the Bill, financial implications would be involved in implementing its provisions such a Bill can be listed for consideration and passing only after the receipt of the recommendations of the Hon.Lt.Governor, Delhi under Section 22(3) of the N.C.T. Act.

The Committee decided that the Bill be listed for introduction on 10th September but may be listed for consideration only after the receipt of L.G.'s recommendations in this regard.

PRIVATE MEMBERS RESOLUTIONS

The Committee decided that three Private Members' Resolution which have found place in the balloting may be listed on 10th September, 1999. The Committee decided to allocate time for these Resolutions as indicated against each below-

S.No	Name of Member	Text of Resolution	Time allocated
1.	Sh.Jagdish Anand	This House resolves that a large number of hoardings erected on different roads/streets be completely removed as this is in voilation of the orders of the Hon'ble Supreme Court.	30 Minutes
2.	Sh.Mukesh Sharma	This House resolves that the policy of giving weightage of 5% marks to the candidates hailing from notified rural areas in services and educational institutions of Delhi Govt which was dispensed by the previous Government, may be restored forthwith.	30 Minutes
3.	Sh.Jile Singh Chauhan Sh.Mukesh Sharma	This House resolves that a high powered Development Board on the pattern of Trans-Yamuna Development Board, be constituted forthwith for integrated and planned development of all the unauthorised colonies in Delhi and provision be made for incurring expenditure from MLA Fund for this purpose on the recommendation of MLAs representing these unauthorised colonies.	45 Minutes

The Committee authorised Shri Mangat Ram Singhal and in his absence Shri Jai Bhagwan Aggarwal to present the Report to the House.

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN
COMITTEE ON PRIVATE MEMBERS
BILLS AND RESOLUTIONS

Delhi
September, 1999